संख्या 8/19/75-कार्मिक-2

प्रेषक,

श्री पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- शासन के समस्त सचिव।
2- समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 7 मई, 1976

विषय :- सरकारी कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति से पहले उनके चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन अटेस्टेशन फार्म के प्रावरण-पत्र का मान-प्रपत्र।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के अवसर पर उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रक्रिया तथा अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में मापदण्ड शासनादेश संख्या 4694/2/बी-321-1947, दिनांक 28 अप्रैल, 1958, संख्या 11/5-69, नियुक्ति (ख), दिनांक 27 अप्रैल, 1968 तथा संख्या 3780/5/दो बी-321-1947, दिनांक 11 जून, 1959 से निर्धारित किये गये हैं। उक्त निर्देशों पर पुनः बल देते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सत्यापन प्राधिकारियों को अटेस्टेशन फार्म भेजते हुए समग्र अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के बारे में लागू मापदण्ड का उल्लेख भी कर दिया जाये जिससे कि सत्यापन या अधिकारी वांछित बिन्दुओं पर स्पष्ट मत अपनी रिपोर्ट से अंकित करें। तद्नुसार प्रावरण पत्र की एक मानक प्रपत्र तैयार किया गया है जो संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि भविष्य में सत्यापन प्राधिकारियों को अटेस्टेशन फार्म भेजते समय उक्त प्रपत्र का प्रयोग किया जाये।

भवदीय,
पृथ्वी नाथ चतुर्वेदी,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या-8/19/75-कार्मिक-2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2- समस्त जिलामजिस्ट्रेट, उ0प्र0।
3- समस्त पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

आज्ञा से,
बी0एन0पी0 श्रीवास्तव,
अनुसचिव।

गोपनीय

चरित्र एवं पूर्ववृत्त के लिये प्रावरण-पत्र का मानक प्रपत्र

सेवा में,

शासन द्वारा निर्धारित प्राधिकारी।

विषय :- राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति के पूर्व चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन पद के लिये अभ्यर्थी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री ---------- जिनका विवरण संलग्न अटेस्टेशन फार्म में दिया हुआ है कि इस विभाग के अधीन ---------- पद के लिये अभ्यथी हैं। राजकीय सेवा के लिये उक्त अभ्यर्थी की उपयुक्तता के विषय में इस विभाग द्वारा निर्णय लेने हेतु कृपया अपने अभिलेखों में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह प्रमाणित करें कि उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात है या नहीं अथवा अभिलेखों में उसके सम्बन्ध में कोई ऐसे तथ्य हैं जो उसे राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अनुपयुक्त बनाते हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थियों की उपयुक्तता की जांच करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह मापदण्ड निर्धारित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी राजनैतिक विचारधारा के कारण नियुक्ति हेतु अनुपयुक्त न माना जायेगा, किन्तु यह सावधानी बरती जाये कि ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति न किया जाय जिनके अराजभक्त होने की अथवा नियुक्ति के फलस्वरूप जो भरोसा उन पर रखा जाये उसका उनके द्वारा दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना हो। ऐसे व्यक्तियों विध्वसंक कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं अथवा किसी ऐसे संस्था के सदस्य हो जिसका दृढ़ लक्ष्य समाज के वर्तमान ढाँचे को हिसांत्मक कार्यों द्वारा बदलना हो, राजकीय सेवाओं में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त समझा जाये, जब कि उसने किसी आपत्तिजनक कार्यकलाप या कार्यक्रम में वास्तव में भाग लिया हो या उसका उक्त कार्यकलाप या कार्यक्रम से वस्तुतः कोई सम्बन्ध बढ़ाने में विशिष्ट रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में सिविल पदों पर सेवायोजन के लिये अवाँछनीय समझा जायेगा।

(क) वे लोग जो कि अवैध घोषित निकाय या संस्था के, उसके इस प्रकार अवैध घोषित किये जाने के कुछ सदस्य हो या रहे हों अथवा जिनका ऐसे निकाय या संस्था से कोई सम्बन्ध हो या रहा हो, या

(ख) वे लोग जिन्होंने किसी ऐसे कार्यकलाप या कार्यक्रम में भाग लिया हो या जिनका उससे सम्बन्ध रहा हो।

1- जिसका लक्ष्य संविधान का उच्छेदन करना हो।

2- जिनका लक्ष्य संगठित रूप से कानून को तोड़ना या उसकी अवज्ञा करना हो, जिसमें हिंसा भी सम्मिलित है।

3- जो भारत की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता या राज्य की सुरक्षा के हित के विरुद्ध हो, या

4- जो धर्म, प्रजाति, भाषा, जाति या सम्प्रदाय के आधार पर जनता के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना उत्पन्न करता है। ऐसे कार्यकलापों में 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद और जाँच के दिनांक के तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय भाग लेना इस बात का प्रमाण समझा जाना चाहिये कि उक्त व्यक्ति अब भी सक्रिय रूप से ऐसे कार्यकलापों में संलग्न है सिवाय उस दशा में जब कि इस बीच उसके रुख में परिवर्तन होने का कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध हो।

2- आपसे अनुरोध है कि यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा कि क्या उपरिलिखित मापदण्ड को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यथी राजकीय सेवा के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं और यदि उसे अनुपयुक्त समझा जाये

तो जिन आधारों पर मत आधारित हो उनका एक संक्षिप्त विवरण भी दिया जाये। जांच के परिणामों से इस विभाग/कार्यालय को तुरन्त अवगत कराया जाये अधिक से अधिक 6 सप्ताह के अन्दर।

भवदीय,

नाम ----------

पदनाम ----------

पूरा पता ----------